

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक:  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44.]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016— माघ 16, शक 1937

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2016

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-12/2014/56/एक/ड.सू.प्री. — छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के खण्ड 11 (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नीति में, -

1. उप-खण्ड 5.1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“5.1 ई एस डी एम (इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभिकल्प एवं निर्माण) क्षेत्र में सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं ऑफिस ऑटोमेशन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक हाईवेयर उत्पाद, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि. इसमें विमानन, सौर फोटोवोल्टिक, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नौनो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और रक्षा से संबंधित वस्तुएं, अभिकल्प से संबंधित गतिविधियां जैसे उत्पाद अभिकल्प, चिप अभिकल्प, वीएलएसआई, बोर्ड अभिकल्प, एम्बेडेड सिस्टम आदि या इस नीति के खण्ड 9 के अनुसार सशक्त समिति द्वारा परिभाषित इकाई सम्मिलित है.”

2. उप-खण्ड 6.10 के उपरान्त, निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

“6.11 राज्य में स्थापित इकाई को, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक या राज्य में जीएसटी लागू होने तक, जो भी पहले हो, उक्त इकाई में उत्पादित सामग्री के राज्य के भीतर विक्रय पर वेट (मूल्य सवर्धित कर) में 100% छूट दी जायेगी”

3. उप-खण्ड 9 में, -

(एक) उप-खण्ड 9.1 शीर्षक “सशक्त समिति” के के अंतर्गत प्रविष्टि (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(10) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स -

सदस्य”

(वो) उप-खण्ड 9.1 शीर्षक "सशक्त समिति" के अंतर्गत प्रविष्टि (10) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये;  
अर्थात् :-

"(11) संयुक्त सचिव/उप सचिव,  
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य सचिव"

4. खण्ड 9 के उप-खण्ड 9.2 शीर्षक "सशक्त समिति" के बाधित्व के अंतर्गत प्रविष्टि 9.2.5 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
- "9.2.6 रुपये 100 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों पर इकाईयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों, छूट एवं अनुदान की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना.
- 9.2.7 नीति अंतर्गत निवेश के निष्पादन और प्रोत्साहन, अनुदान एवं छूट की समीक्षा करना.
- 9.2.8 छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के संबंध में नीतिगत निर्णय लेना.
- 9.2.9 किसी उद्योग के इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा आधारित उद्योग होने के संबंध में अथवा इस नीति के तहत ऐसे उद्योग की पात्रता आदि के संबंध में कोई विवाद (प्रश्न) उद्भूत होने की स्थिति में, सशक्त समिति निर्णय ले सकेगी. सशक्त समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम होगा.
- 9.2.10 यह समिति राज्य स्तरीय एकल खिड़की क्लीयरेंस समिति के रूप में भी कार्य करेगी.
5. खण्ड 11 के उप-खण्ड 11.7 का लोप किया जाये.
6. खण्ड 11 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात् :-
- "12. निर्वचन एवं क्रियान्वयन के लिये निर्देश जारी करना-
- 12.1 इस नीति के प्रावधानों के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद (प्रश्न) उद्भूत होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा.
- 12.2 इस नीति के क्रियान्वयन अथवा क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समय-समय पर अनुदेश, आदेश आदि करने के लिए अधिकृत होगा.

No. F 4-12/2014/56/One/E.I.T. . — In exercise of the powers conferred by clause 11 (7) of the Electronics, Information Technology and Information Technology enabled Services Investment Policy of Chhattisgarh 2014-2019, the State Government, hereby, makes the following amendments in the said policy from the date of publication of this notification in the Official State Gazette, namely :-

#### AMENDMENT

In the said policy,-

1. For Sub-Clause 5.1, the following shall be substituted, namely :-
- "5.1 ESDM (Electronic System Design and Manufacturing) sector includes hardware production related to Information Technology and Office Automation, Telecommunication, Consumer Electronics, Electronic Devices etc. It includes Aviation, Solar Photovoltaic, Strategic Electronics, Nano Electronics, Medical Electronics, Space and Defence-related goods, activities related to design like Product Design, Chip Design, VLSI, Board Design, Embedded System etc. or a unit defined by the Empowered Committee according to the clause No. 9 of this policy."
2. After sub-clause 6.10, the following shall be inserted namely :-
- "6.11 100 % exemption of the VAT (Value added Tax) shall be made to the units established in the State up to 5 year from the date of commencing production or till implementation of GST in the State, which ever is earlier, for goods produced in the said units which are sold within the State.

3. In clause 9,-
- (i) for entry number 10 of the table under heading "Empowered Committee", the following shall be substituted, namely :-
- "10 Chief Executive Officer, CHIPS Member"
- (ii) after entry number 10 of the table under heading "Empowered Committee", the following shall be inserted, namely :-
- "11 Joint Secretary/Deputy Secretary, Member  
Department of Electronics and Secretary  
Information Technology"
4. After entry 9.5, under heading "Functions of Empowered Committee" of the clause 9, the following shall be added, namely :-
- "9.6 Granting in principal approval for incentives, exemptions and subsidy for the proposals of investment up to Rs. 100 crores for establishment of units.
- 9.7 Review of execution of investment and grant of incentives, subsidy and exemptions under the policy.
- 9.8 Taking policy decisions regarding the "Electronics, Information Technology and Information Technology enabled Services Investment Policy of Chhattisgarh 2014-2019".
- 9.9 The Empowered Committee can take decision regarding any industry being an electronics, information technology and information technology supported services industry or in case of any dispute regarding their eligibility under this policy. The decision taken by the Empowered Committee in this regard shall be final.
- 9.10 This committee shall also function as the State Level Single Window Clearance Committee (SLSWCC)".
5. Sub-Clause 11.7 shall be omitted.
6. After clause 11, the following shall be added, namely :-
- "12. Issuance of instruction for Interpretation and Implementation-
- 12.1 In case of any dispute arising regarding interpretation of the provisions of this policy, decision taken by the Department of Electronics & Information Technology shall be final.
- 12.2 The Department of Electronics and Information Technology shall be authorized for issuing instructions, orders from time to time for implementation of this policy or for solving the problems faced in the implementation of this policy."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सीरम कुमार, उप-सचिव.